


अनवान भैरवसिंह V/S बाबानंद

मुकदमा नंबर 13 / 2025

| तारीख क्रम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 15-10-25 | <p>पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। चूंकि मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा माफिक राजस्व रेकर्ड दर्ज स्वयं की 1/3 हिस्से में अपने सभी विधिक वारिसान प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 का सम्मान रूप से हक हिस्सा स्वीकार होने से एवं वाद राजीनामा के जरिये डिक्री करने की सहमति प्रदान करने से उपरोक्त प्रकरण में अब कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है जिससे सरहद मौजा कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 750, 751, 768, 769 व 783 एवं सरहद मौजा इन्द्राणा में अवस्थित खसरा संख्या 1237, 1238, 1239, 1240, 1300, 135 व 424 की भूमि में नेतीराम के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि में से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रत्येक 1/3 हक हिस्से की भूमि का 1/7-1/7 बेचान करने के लिए स्वतंत्र रहेगा अज अदालत द्वारा दिनांक 30.01.2025 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक (कलक्टर) (S.D.O.) सिवाना</p> | |

